

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 36/2021-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 11.11.2021

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र. सं.	नोटिसी का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै. एस एम निर्यात प्रा. लि, कमरा सं. 402, सागर ट्रेड क्यूब, 104, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड, कोलकाता-700026 और 4 अन्य.	फ़ा. सं. S41(G)-345/2020 Exp(Misc.) DRI फ़ा. सं. DRI/DZU/23/Enq- 77/2017/ SMNIRYAT दिनांक 28.12.2020, पूरक कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.01.2021 के साथ पठनीय.	सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात), कस्टम हाउस, कोलकाता. संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात), कस्टम हाउस, कोलकाता.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), जीएसटी भवन, राजस्व विहार, भूबनेशवर  (तालिका के क्रम सं. 1 से 5 के लिये)
2.		फ़ा. सं. VIII(10)91/SCN/SMN/DRI / CUS (P)/BBSR/2020 दिनांक 27.04.2021/ 12.05.2021.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), जीएसटी भवन, राजस्व विहार, भूबनेशवर.	
3.	मै. दिशा रियलकोन प्रा. लि., 403,	फ़ा. सं. S41(G)-345/2020 Exp(Misc.) DRI फ़ा. सं.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस,	

	सागर ट्रेड क्यूब, 104, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड, कोलकाता-700026 और 4 अन्य.	DRI/DZU/23/Enq- 77/2017/ SMNIRYAT दिनांक 01.03.2021.	कोलकाता.
4.	मै. चमोंग टी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि., 2, एन सी दत्ता साराणी, सागर इस्टेट, यूनिट सं. 1, 5 <sup>वां</sup> तल, कोलकाता-700001 और 4 अन्य.	फ़ा. सं. S41(G)-344/2020 Exp (Misc.) डीआरआई फ़ा. सं. DRI/DZU/23/Enq- 78/2017/ Chamong दिनांक 11.03.2021.	आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता.
5.		फ़ा. सं. VIII(10) 120/SCN/CTEPL/CUS(P) /BBSR/2020 दिनांक 27.04.2021/ 29.04.2021.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), जीएसटी भवन, राजस्व विहार, भूबनेश्वर.

[फ़ा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-18/2021]

(भारती शर्मा)  
संयुक्त निदेशक

**प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-**

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे उनसे संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों और को- नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें